

Response Preparation of Digital Bharat

➤ Know about Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C)

- ❖ Ministry of Home Affairs, Government of India is implementing a scheme called '**Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C)**' to deal with cybercrimes in a coordinated and comprehensive manner.
- ❖ Following are seven components of the centre:
 1. **National Cybercrime Threat Analytics Unit (TAU)**
 2. **National Cybercrime Forensic Laboratory (NCFL)**
 3. **National Cybercrime Training Centre (NCTC)**
 4. **Cybercrime Ecosystem Management**
 5. **Platform for Joint Cybercrime Investigation Team**
 6. **National Cybercrime Reporting Portal (NCRP)**
 7. **National Cyber Research and Innovation Centre (NCR&IC)**
- ❖ One of the components of I4C is operationalisation of National Cybercrime Reporting Portal to deal with all types of cybercrimes. The earlier Cybercrime Reporting Portal www.cybercrime.gov.in was for filing of cybercrime complaints pertaining to Child Pornography (CP)/ Rape Gang Rape (RGR)/ Obscene Content only, however, the National Cybercrime Reporting Portal facilitates filing of all types of cybercrimes with special focus on the cybercrime against women and children.



Response Preparation of Digital Bharat

- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) के बारे में जानें
- गृह मंत्रालय, भारत सरकार समन्वित और व्यापक तरीके से साइबर अपराधों से निपटने के लिए 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी)' नामक एक योजना कार्यान्वित कर रहा है।

❖ केंद्र के सात घटक निम्नलिखित हैं:

1. राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषिकी इकाई (टीएयू)
2. राष्ट्रीय साइबर अपराध फॉरेंसिक प्रयोगशाला (एनसीएफएल)
3. राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र (एनसीटीसी)
4. साइबर अपराध पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन
5. संयुक्त साइबर अपराध जांच दल के लिए मंच
6. राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी)
7. राष्ट्रीय साइबर अनुसंधान और नवाचार केंद्र (एनसीआर एंड आईसी)

❖ आई4सी के घटकों में से एक सभी प्रकार के साइबर अपराधों से निपटने के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल का संचालन है। इससे पहले साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in चाइल्ड पोर्नोग्राफी (सीपी)/रेप गैंगरेप (आरजीआर)/अश्लील सामग्री से संबंधित साइबर अपराध शिकायतें दर्ज करने के लिए था, हालांकि, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध पर विशेष ध्यान देने के साथ सभी प्रकार के साइबर अपराधों को दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है।

